Helpline 1064 94135-02834

कार्यालय महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो

(जनसम्पर्क प्रकोष्ठ)

प्रेस नोट

- **डूंगरपुर में पुलिस थाना कोतवाली के हैड कानिस्टेबल के लिये 15 हजार रूपये रिश्वत के रूप में लेते दो दलाल (प्राईवेट व्यक्ति) रंगे हाथों गिरफ्तार**
- **हैड कानिस्टेबल मौके से फरार, तलाश जारी**
- **आवास एवं अन्य ठिकानों पर तलाशी जारी**

जयपुर, *13 सितम्बर, बुधवार*। ए.सी.बी. मुख्यालय के निर्देश पर उदयपुर इकाई द्वारा आज डूंगरपुर में कार्यवाही करते हुये जय सिंह डामोर हैड कानिस्टेबल, पुलिस थाना कोतवाली, जिला डूंगरपुर के लिये परिवादी से **15 हजार रुपये** की रिश्वत लेते दो दलाल राहुल डिन्डोर, राजू डिन्डोर (प्राईवेट व्यक्ति) को रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। आरोपी हैड कानिस्टेबल एसीबी कार्यवाही की भनक लगने पर मौके से फरार हो गया है, जिसकी तलाश की जा रही है।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के अतिरिक्त महानिदेशक श्री हेमन्त प्रियदर्शी (अतिरिक्त चार्ज महानिदेशक) ने बताया कि ए.सी.बी. की उदयपुर इकाई को परिवादी द्वारा शिकायत दी गई कि उसके एवं उसके पुत्रों के विरूद्ध मोटरसाईकिल चोरी के मामले में केस नहीं बनाने की एवज में जय सिंह डामोर हैड कानिस्टेबल, पुलिस थाना कोतवाली, जिला डूंगरपुर द्वारा स्वयं एवं थानाधिकारी के नाम से **1 लाख 20 हजार रूपये** रिश्वत राशि की मांग कर परेशान किया जा रहा है। परिवादी के अनुसार आरोपी हैड कानिस्टेबल द्वारा उन्हें डरा–धमकाकर शिकायत से पहले ही **40 हजार रुपये** रिश्वत के रूप में वसूल कर लिये हैं।

जिस पर एसीबी के उदयपुर के **उप महानिरीक्षक पुलिस श्री राजेन्द्र प्रसाद गोयल** के सुपरवीजन में एसीबी की उदयपुर इकाई के **अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री विक्रम सिंह राठौड़** के निर्देशन में शिकायत का सत्यापन किया जाकर आज **पुलिस निरीक्षक श्रीमती डॉ. सोनू शेखावत** द्वारा मय टीम के डूंगरपुर में ट्रेप कार्यवाही करते हुये आरोपी हैड कानिस्टेबल के कहे अनुसार दलाल राजू पुत्र हकरा जी डिन्डोर निवासी वीरपुर पोस्ट बिलड़ी, तहसील व जिला डूंगरपुर (प्राइवेट व्यक्ति) को परिवादी से **15 हजार रूपये** रिश्वत राशि के रूप में लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है। आरोपी दलाल राहुल पुत्र हकरा जी डिन्डोर निवासी वीरपुर पोस्ट बिलड़ी, तहसील व जिला डूंगरपुर द्वारा शिकायत के सत्यापन के दौरान परिवादी से **5 हजार रूपये** रिश्वत राशि के रूप में वसूल किये गये थे, जिसपर मौके से उसे भी गिरफ्तार किया गया है। आरोपी हैड कानिस्टेबल जय सिंह डामोर हैड कानिस्टेबल, पुलिस थाना कोतवाली, जिला डूंगरपुर मौके से एसीबी कार्यवाही की भनक लगने पर फरार हो गया, जिसकी तलाश जारी है।

एसीबी के उप महानिरीक्षक पुलिस श्री राजेन्द्र प्रसाद गोयल के निर्देशन में आरोपियों से पूछताछ जारी है। एसीबी द्वारा मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान किया जायेगा।

एसीबी के अतिरिक्त महानिदेशक श्री हेमन्त प्रियदर्शी (अतिरिक्त चार्ज महानिदेशक) ने समस्त प्रदेशवासियों से अपील की है कि भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की ***टोल–फ्री हैल्पलाईन नं.* 1064** *एवं* ***Whatsapp हैल्पलाईन नं.* 94135–02834** पर 24X7 सम्पर्क कर भ्रष्टाचार के विरूद्ध अभियान में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें। **एसीबी आपके वैध कार्य को करवाने में पूरी मदद करेगी।** विदित रहे कि एसीबी राजस्थान राज्य में राज्य कर्मियों के साथ–साथ केन्द्र सरकार के कार्मिकों के विरूद्ध भी कार्यवाही करने को अधिकृत है।